सत्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के अष्टम सत्र)

फरवरी-अप्रैल, 2023 की कार्यसूची

(खण्ड-10)

दिनांक-23 मार्च, 2023

माँग संख्या - 03

आय-व्ययक शीर्षक - भवन निर्माण विभाग

179. **प्रभारी मंत्री**, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''भवन निर्माण विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **47,21,47,85,000/-** (सैंतालीस अरब इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख पच्चासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

180-184. **श्री जनक सिंह, श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री संजय सरावगी, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री अखतरूल ईमान** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या - 48

आय-व्ययक शीर्षक - नगर विकास एवं आवास विभाग

185. **प्रभारी मंत्री**, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''नगर विकास एवं आवास विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **97,09,15,02,000/-** (संतानवे अरब नौ करोड़ पंद्रह लाख दो हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

186-190. **श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री संजय सरावगी, श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री अखतरूल ईमान एवं डॉ० सी०एन० गुप्ता** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या - 29

आय-व्ययक शीर्षक - खान एवं भूतत्व विभाग

191. **प्रभारी मंत्री**, खान एवं भूतत्व विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''खान एवं भूतत्व विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **61,91,83,000/-** (इक्सठ करोड़ इक्यानवे लाख तिरासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

192-193. **श्री संजय सरावगी एवं श्री अरूण शंकर प्रसाद** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की खान एवं भूतत्व नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या - 47

आय-व्ययक शीर्षक - परिवहन विभाग

194. **प्रभारी मंत्री**, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''परिवहन विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **4,34,09,47,000/-** (चार अरब चौंतीस करोड़ नौ लाख सैंतालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

195-197. **श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री संजय सरावगी एवं डॉ० सी०एन० गुप्ता** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

उपर्युक्त खण्ड-10 (दिनांक-23.03.2023) में सम्मिलित अनुदान की माँगों पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों से संबंधित पूर्व में निर्गत ज्ञापांक-1277, दिनांक-06.03.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2023- 1607 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/3/23
(पवन कुमार सिन्हा)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2023- 1607 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/3/23
(पवन कुमार सिन्हा)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2023- 1607 /वि०स०, पटना, दिनांक- 21 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (तीन प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/3/23
(पवन कुमार सिन्हा)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

21/3/23